

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
<p>9/11/19</p>	<p style="text-align: center;">न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-आर्बिटेटर, धनबाद आर्बिट्रेशन केश नं०-04/2019</p> <p>राम लाल मण्डल -बनाम्- भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य</p> <p>दावेदार के आवेदन के आलोक में गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा-काशीटांड, थाना नं०-93, खाता नं०-16, प्लॉट नं०-858, रकवा-0.13 एकड़ (13 डी0) भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ-2 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।</p> <p>आवेदक द्वारा लिखित एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि अर्जित भूमि पर होटल निर्मित है, जो आधा भाग (हिस्सा) तोड़ (Demolish) दिया गया है, तथा बचे हुए शेष भाग में स्थित होटल/संरचना कोई उपयोग हेतु नहीं रह गया है। साथ ही अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचना का सही दर पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि व्यवसायिक होटल का अधिष्ठापन किया गया है। आवेदक द्वारा अर्जित भूमि का वास्तविक बाजार दर पर मुआवजा राशि का भुगतान करने तथा अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमुल्यांकन करते हुए शेष बचे हुए भूमि/अवस्थित होटल को भी अर्जित करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा उल्लेख किया गया है कि भूमि/संरचना का मुआवजा राशि नियमानुसार भुगतान किया गया है।</p> <p>सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-607/नि०रा०, दिनांक-08.08.16 के द्वारा निदेशित है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-94 के अनुसार-“भू-अर्जन से संबंधित परियोजना के एलायमेंट में पड़ने वाले मकानों/भवनों का यदि आंशिक अथवा समूचा भाग (Whole or partial part) क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त मकान/भवन आवासीय प्रयोजन के अनुकूल नहीं रह जाता है, तो वैसे स्थिति में संपूर्ण मकान/भवन की क्षतिपूर्ति राशि आकलित की जायेगी एवं तदनुसार हितवद्ध रैयत संपूर्ण मुआवजा राशि के हकदार होंगे। लेकिन यदि किसी मकान/भवन का बाहरी भाग यथा-चाहरदिवारी, इत्यादि एलायमेंट के अंदर पड़ता है, जिससे उक्त मकान/भवन आवासीय प्रयोजन का बना रहता है, तो वैसे स्थिति में हितवद्ध रैयत उतने ही भाग के मुआवजा राशि के हकदार होंगे, जितना भाग भू-अर्जन के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त हुआ है।”</p> <p>अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/NHAI वास्तविकता की जाँच करते हुए सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-607/नि०रा०, दिनांक-08.08.16 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में शेष बचे हुए भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमुल्यांकन कर देय मुआवजा राशि नियमानुसार हितवद्ध रैयत को भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित। अपर समाहर्ता, -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद।</p> <p style="text-align: right;">अपर समाहर्ता, -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद।</p>	